

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग,
देहरादून/हल्द्वानी।

4- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 05 जुलाई, 2013

विषय: राज्य के आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्णरूप से सड़क मार्गों से **Cut-off** हो गये हैं को माह जुलाई, 2013 में प्रति 05 सदस्यों हेतु निःशुल्क खाद्य सामग्री ट्रान्सपोर्टेशन सहित उपलब्ध कराये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 03.07.2013 में संशोधित दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 337/13-XIX-2/51 खाद्य/2013 दिनांक 03.07.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में आयी दैवीय आपदा के कारण आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 01.07.2013 में बिन्दु सं० 01 पर पारित निर्णय में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है-

1- आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्णरूप से सड़क मार्गों से Cut-off हो गये हैं, के स्थान पर " आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्णरूप से सम्पर्क मार्गों से **Cut-off** हो गये हैं", को माह जुलाई, 2013 में प्रति 05 सदस्यों पर 15 कि०ग्रा० चावल, 15 कि०ग्रा० आटा, 05 कि०ग्रा० दाल, 03 कि०ग्रा० चीनी, 01 लीटर तेल, मसाले, नमक, माचिस एवं 10 लीटर केरोसीन तेल जिसमें ट्रान्सपोर्टेशन का व्यय भी सम्मिलित है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाय।

उक्त पारित आदेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपरोक्त बिन्दु सं० 01 में निहित आदेशों के सम्बन्ध में शासनादेश सं० 337/13-XIX-2/51 खाद्य/2013 दिनांक 03.07.2013 इस सीमा तक संशोधित "पढ़ा" एवं "समझा" जायेगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली राहत सामग्री का वितरण उपरोक्तानुसार आपदा प्रभावित परिवारों को समय से दिये जाने एवं प्राप्त सामग्री का सदुपयोग आपदा प्रभावित परिवारों के हित में किये जाने के उद्देश्य से यह भी निर्देशित किया जाता है कि राहत सामग्री में प्राप्त हो रहे खाद्यान्न यथा गेहूँ, चावल, आटा, खाद्य तेल, दाल, नमक, चीनी, मसाले, मिट्टी तेल, माचिस एवं अन्य आवश्यक जीविकोपार्जन सामग्री का वितरण शासनादेश के बिन्दु सं० 1 की परिधि में आने वाले आपदा प्रभावित परिवारों को शासनादेश दिनांक 03.07.2013 में उल्लिखित सामग्री के साथ-साथ किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

शासनादेश दिनांक 03.07.2013 में उल्लिखित अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

345

संख्या /13-XIX-2/51 खाद्य/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा० खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री जी उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराँय टॉवर, माजरा, देहरादून।
- 6- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 8- अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 10- मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 11- वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
- 12- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
- 13- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग।
- ✓ 14- एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।